

मध्यप्रदेश शासन
गृह विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
// आदेश //

भोपाल, दिनांक 10 अप्रैल, 2017

क्रमांक एफ 1-52/2017/ब-2/दो, राज्य शासन द्वारा निम्नलिखित भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को अखिल भारतीय सेवाएं (डी.सी.आर.बी.) नियम, 1958 के नियम 16 के अंतर्गत 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने के कारण, उनके नाम के सम्मुख दर्शाई तिथि से सेवानिवृत्त किया जाता है-

क्र.	भापुसे अधिकारी का नाम	सेवानिवृत्ति का दिनांक
1	श्री प्रेमबाबू शर्मा, एसपीएस -2004	31.01.2018
2	श्री बी.एम. कुमार, आर.आर.-1985	30.04.2018
3	श्री आर.एस.कौल एसपीएस -1999	30.04.2018
4	श्री एन.पी.बरकडे, एसपीएस -2003	30.04.2018
5	डॉ. आर.के.गर्ग, आर.आर. -1986	30.06.2018
6	श्री के. बाबूराव, आर.आर. -1991	30.06.2018
7	श्री आर.पी.सिंह, एसपीएस-2001	30.06.2018
8	श्री बी.पी.चंद्रवंशी, एसपीएस-2004	30.06.2018
9	श्री आर.के.मराठे, एसपीएस-1998	31.08.2018
10	श्री नवल सिंह रघुवंशी, एसपीएस-2001	30.09.2018
11	श्री आर.पी.श्रीवास्तव, एसपीएस-1992	30.11.2018
12	श्री सुधीर व्ही. लॉड, एसपीएस-2003	31.12.2018


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(अजीजा सरशार जफर)
उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग
भोपाल, दिनांक 10 अप्रैल, 2017

पृ.क्रमांक एफ 1-52/2017/ब-2/दो
प्रतिलिपि-

01. सचिव, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली ।
 02. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर ।
 03. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग ।
 04. प्रमुख सचिव (समन्वय) मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल ।
 05. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मान. मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
 06. अपर मुख्य सचिव, गृह के स्टाफ आफिसर ।
 07. विशेष सहायक, मान. मंत्री, गृह, मंत्रालय, भोपाल ।
 08. पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
 09. पुलिस महानिरीक्षक (प्रशासन) पुलिस मुख्यालय, भोपाल ।
 10. संयुक्त संचालक, जनसम्पर्क, वल्लभ भवन, भोपाल ।
 11. संबंधित अधिकारी द्वारा पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
 12. गृह विभाग, कक्ष ब-2, लेखा/पेशन ।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।


उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग